

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1896

in the court of
MagistrateClass.....

Case No.....RCT 907/26 Complaint or report made on

Name and address of the complainant आरक्षी केन्द्र, गुनौर जिला पन्ना

Name, parentage, Caste and address of accused

रामकिशोर चौधरी पिता भोला प्रसाद चौधरी उम्र-33 वर्ष
निवासी चौकी थाना सलेहा जिला पन्ना म0प्र0

The offence complained of, and date of. Its alleged commission

1 आप ने घटना दिनांक 05.07.2026 के करीब 10:00 बजे स्थान- सुनील के घर के सामने डिघौरा गुनौर मेन रोड लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य की वाहन क्रमांक MP35MA4926 को उपेक्षा व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए आहत हेतराम चौधरी को स्वेच्छया उपहति कारित की एवं उक्त वाहन को बिना ड्राइविंग लायसेंस व बिना रजिस्ट्रेशन व बिना बीमा के खतरनाक तरीके से चालन किया। मोटरयान अधिनियम की धारा 125ए, 281 बीएनएस व 3/181, 146/196, 39/192, 184 मोटर यान अधिनियम का उल्लंघन कारित किया।

ऐसा कर आपन धारा 125ए, 281 बीएनएस व 3/181, 146/196, 39/192, 184, मोटर यान अधिनियम का अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के संज्ञान व क्षेत्राधिकार में है।



(कृष्णा वोहरा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पन्ना जिला पन्ना म0प्र0

The plea of the accused and his examination (if any)-

अभिवाक्:- आरोप स्वीकार हो
रायकिशोर

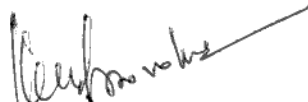
(कृष्णा वोहरा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पन्ना जिला पन्ना म0प्र0

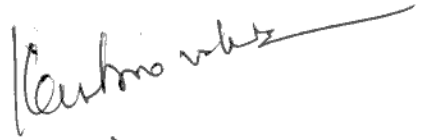
The offence proved, if any, and in case under clause, (d) clause (e) clause (f) or clause (g), of Sub-section (I) of Section 260 the Value of the property in respect of which the offence has been committed.

/// निर्णय ///

(आज दिनांक 21.08.2026 को घोषित)

1. आरक्षी केन्द्र गुनौर द्वारा आरोपी रामकिशोर चौधरी के विरुद्ध धारा 125ए, 281 बीएनएस व 3/181, 146/196, 39/192, 184 मोटर यान अधिनियम आरोपी प्रभा सिंह परिहार पति स्व श्री राजेन्द्र सिंहके अंतर्गत इशतगासा पेश किया गया।
2. अभियुक्तगण द्वारा अपराध स्वेच्छया से स्वीकार करने की वांछा प्रकट की जिस पर से आरोपी राम किशोर चौधरी को धारा 125ए, 281 बीएनएस व 3/181, 146/196, 39/192, 184 मोटर यान अधिनियम के तहत के तहत अपराध विवरण निर्मित कर उन्हें पढ़कर सुनाये समझाये जाने पर आरोपी ने स्वेच्छया अपराध का किया जाना स्वीकार किया, तदानुसार उनका अभिवाक् अंकित किया गया। अभियुक्तगण की स्वीकारोक्ति एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इशतगासा के आधार पर आरोपी को धारा 125ए, 281 बीएनएस व 3/181, 146/196, 39/192, 184 मोटर यान अधिनियम के तहत के तहत दोषी ठहराया जाता है।
3. अतः आरोपी को मोटर यान अधिनियम 1988 में मोटर यान (अधिनियम) के नवीन संशोधन 2019 (क्रमांक 32) द्वारा यथा संशोधित अनुसार धारा 281 में 1000 रूपए अर्थदण्ड एवं 125ए बीएनएस में न्यायालय उठने तक कारावास एवं एवं 3/181 एम व्ही एक्ट में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 146/196 एम व्ही एक्ट में 2000 रूपए एवं 39/192 एम व्ही एक्ट में 2000 रूपए एवं 184 एम व्ही एक्ट में 1000 रूपए अर्थदण्ड के दण्डित किया जाता है।
4. आरोपी द्वारा अर्थदंड अदा न करने की दशा में 7 दिन का साधारण कारावास भुगताया जावे।
5. प्रकरण में जप्त वाहन व दस्तावेज पूर्व से सुपुर्दगी पर है।


कृष्णा वोहरा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पन्ना जिला पन्ना म0प्र0


कृष्णा वोहरा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पन्ना जिला पन्ना म0प्र0

